39

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 314–दो/2006 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 15–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 8/93–94 अपील

महिला कौशल्या पत्नि स्व. जयनारायण
कस्वा जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना
व्दारा मुख्त्याआम
हरिशरण पुत्र जयनारायण निवासी
कस्वा जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना ———आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 –10 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक कमांक 8/93–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला रामकुँवर पत्नि मन्ती ग्राम अलापुर की भूमि सर्वे कमांक 45 रकबा 1 वीघा 28 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) की भूमिस्वामी थी, जिसकी मृत्यु उपरांत तीन नामान्तरण आवेदन दावेदारों व्दारा

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये।

1. रामचरन (मृतक भूमिस्वामनी का को बुआ बताते हुये)
2. भोले (मृतक भूमिस्वामिनी को चाची बताते हुये)
3. महिला कौशल्या (बसायनामे के आधार पर)

तहसील न्यायालय में उक्त पर से प्रकरण कमांक 46/89-90 अ-6 पंजीबद्ध हुआ तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 15-6-92 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 51/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-93 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 8/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-9-94 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी कमांक आर.एन. 4-2/आर/2/95 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2002 से अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30-9-94 निरस्त किया तथा प्रकरण गुणदोष पर आदेश पारित करने एंव पक्षकारों को श्रवण करने हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर कमांक 8/1993-94 अपील में पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा आदेश दिनॉक 15-12-2005 पारित करके अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि की एकमात्र भूमिस्वामिनी महिला रामकुॅअर थी जो अपने पति के जीवनकाल में आवेदक कौशल्या के साथ रहती रही है। रामकुॅअर एंव कौशल्या में काफी घनिष्ठता रही है । रामकुंअर की देखभाल का जिम्मा आवेदिका पर था और वही उसकी सेवा वर्दास्त करती रही है। रामकुॅअर ने इन्हीं कारणों से दिनांक 31–12–88 को आवेदिका के हित में नोटरी से बसीयत लिखाई थी। बसीयत साक्ष्य से प्रमाणित कराई गई है फिर भी तीनों न्यायालयों ने बसीयत के विपरीत जाकर निर्णय लेने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर बसीयतग्रहीता आवेदिका का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया जाय।

शासन के पैनल लायर ने तर्क दिया कि महिला रामकुॅअर बेओलाद मरी है रामकुॅअर एंव कौशल्या अलग अलग जातियों की है विजाति महिला को रामकुॅअर बसीयत क्यों करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि तहसील न्यायालय का आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 176, 177 के अंतर्गत है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि महिला रामकुॅअर बेओलाद मरी है एंव उसका कोई रक्तज मौजूद नहीं है। बसीयत के समबन्ध में अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 15–12–05 के पैरा 4 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :–

'' नोटरी के मुख्त्यारआम व्दारा जो विचारण न्यायालय में कथन लिपिबद्ध कराये गये हैं उसमें भी सारभूत विरोधाभाष नजर आता है। नोटरी बाबूलाल

ने भी अपीलार्थी के हक में लिखी गई बसीयत का समर्थन नहीं किया है और जब तक बसीयत को दो गवाहों व्दारा प्रमाणित नहीं करा लिया जाता है तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी अपने हक में किये गये बसीयतनामा को विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालयों में प्रमाणित कराने में पूरी तरह से असफल रही है ''।

प्रत्येक पक्षकार का दायित्व रहता है वह स्वयं व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता सिद्व करे, किन्तु आवेदक निजहित में प्रस्तुत बसीयत को प्रमाणित कराने में असफल रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि महिला रामकुँअर के बेओलाद मरने एंव उसके उत्तराधिकारियों में रक्तजों का अभाव होने के तथ्य के बोध के कारण आवेदिका व्दारा बसीयत तैयार कर वादग्रस्त भूमि को पाने का असफल प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 8/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15–12–2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर